

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज०)

पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस)

संख्या 07/2025

बउनवान

जज्ज्वर जय्य देवाराम सारण, प्रवर्तन अधिकारी, (किशनगंज)

(प्रार्थी)

बनाम

श्री सन्तोष शर्मा पुत्र श्री मुकुट बिहारी शर्मा, निवासी नाहरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला बारां

(अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत

उपस्थिति :- 1. पेरोकार रसद

(प्रार्थी)

निर्णय दिनांक 30.04.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 10.03.2025 को घरेलू गैस सिलेण्डरों के बढ़ते व्यावसायिक दुरुपयोग की शिकायत के क्रम में जिला रसद अधिकारी, के निर्देशानुसार हनुमान मंदिर के सामने बस स्टेण्ड चौराहा नाहरगढ़ पहुंचा मौके पर श्री सन्तोष शर्मा पुत्र श्री मुकुट बिहारी शर्मा, निवासी नाहरगढ़ उपस्थित मिले जिनके सामने जांच की गई। जांच में मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरुपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर पेट्रोलियम गैस (वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के भाग 3 के बिन्दु संख्या 3,4,5 व 7 का उल्लंघन पाये जाने पर 3 घरेलू गैस सिलेण्डर मौके पर जब्त सरकार कर रूबरू मैसर्स नाहरगढ़ इण्डेन ग्रामीण वितरक की सुपुर्दगी में दिये जाकर सुपुर्दगीनामा लिखा गया।

इस प्रकार अप्रार्थी का यह कृत्य राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उपरोक्तानुसार जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात की कार्यवाही कर निस्तारण फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6(बी) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी ग्राम नाहरगढ़ में चाय की दुकान लगाकर अपना व अपने परिवार का पेट पालन करता आ रहा है प्रार्थी के पास इस चाय दुकान के अलावा अन्य कोई आय का जरिया नहीं है। प्रार्थी उक्त गलती को स्वीकार करता है तथा भविष्य में कभी भी घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग व्यावसायिक हेतु नहीं करेगा। अतः प्रार्थी को दिया गया नोटिस निरस्त फरमावें।

हमने बहस उभयपक्ष पेरोकार रसद एवं उपस्थित अप्रार्थी स्वयं की सुनी।

दौराने बहस पेरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी ने घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग कर राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का उल्लंघन किया है। अतः जब्तशुदा तीन गैस सिलेण्डरों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात किये जाने के आदेश फरमावें।



Sub
जिला कलक्टर
बारां (राज०)


बहस के दौरान अप्रार्थी स्वयं ने कथन किया कि प्रार्थी ग्राम नाहरगढ़ में चाय की दुकान लगाकर अपना व अपने परिवार का पेट पालन करता आ रहा है प्रार्थी के पास इस चाय दुकान के अलावा अन्य कोई आय का जरिया नहीं है। प्रार्थी उक्त गलती को स्वीकार करता है तथा नविध्य में कभी भी घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग व्यावसायिक हेतु नहीं करेगा। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध की गई कार्यवाही निरस्त फरमाकर अप्रार्थी की दुकान से जब्त किये गये गैस सिलेण्डर अप्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश प्रदान करें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी ने बहस के दौरान स्वयंघरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जाना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर, जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देश दिये जाते हैं कि जप्तशुदा INDEN गैस सिलेण्डर नम्बर (1) 6775, (2) 144293, (3) 705994, का उपयोग व्यावसायिक कार्य हेतु किया गया है, इसलिये अप्रार्थी/सुपुर्दगीदार से जप्तशुदा गैस सिलेण्डरों की सिक्योरिटी राशि मय जुर्माना राशि प्रति गैस सिलेण्डर 2500/- रूपये यानि 3 गैस सिलेण्डरों की कुल 7500/- रूपये लिये जाकर जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों को वापस लौटाये जावे। यदि अप्रार्थी जप्तशुदा गैस सिलेण्डरों को उक्तानुसार राशि जमा करवा कर वापस नहीं लेता है तो अप्रार्थी से व्यवसायिक गैस की दर से घरेलू गैस सिलेण्डर की अन्तर राशि नियमानुसार प्राप्त करें एवं प्राकृतिक गैस विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.6.07 द्वारा राज्य सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर के प्रदत्त निर्देशानुसार उक्त जप्तशुदा गैस सिलेण्डर्स को संचालक नाहरगढ़ इण्डेन ग्रामीण वितरक को कीमत पर दिया जाकर उक्तानुसार प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।




(रोहितेश्वर सिंह तोमर)
जिला कलेक्टर
बारां (राज.)